अनुसूची 14—फारम सं0— 462

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक — ता0..... से .....तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख—सहित 3
	न्यायालय, उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0—154 / 14 शोभा देवी — अपीलार्थी बनाम राज्य — रेस्पोण्डेन्ट **—: आदेश :—** प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा निम्नन्यायालय मधेपुरा के ज्ञापांक 1355—2 / प्रो0 दिनांक 13.12.13 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। संक्षेप में मामला यह है कि जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा दिनांक 07.12.13 को मधेपुरा प्रखंड के सकरपुरा बेतोना पंचायत अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 158 गोठ टोला, सकरपुरा का 11:18 बजे पूर्वाह्न में ओचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय एक भी बच्चे केन्द्र पर उपस्थित नहीं थे सेविका श्रीमति शोभा देवी बातें करती हुई पाई गई। जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा बच्चों के लिए तैयार खाना की सामग्री दिखाये जाने का आदेश देने पर सेविका द्वारा गुमराह करने का प्रयास करते हुए खाली डेकची (बरतन) दिखायी गई निरीक्षण के समय केन्द्र पर किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री उस वक्त तक उपलब्ध नहीं था। सभी आवश्यक पंजी के स्थान पर मात्र 9 पंजियां केन्द्र पर पाई गई निरीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश पत्रांक 2918 दिनांक 10.12.13 के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा को आदेश निर्गत किये कि श्रीमति शोभा देवी सेविका आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 158 गोठ टोला, सकरपुरा को चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जाय, क्योंकि केन्द्र के निरीक्षण से स्पष्ट है केन्द्र संचालन नियमित रूप से नहीं होता है उन्होंने अपने उक्त आदेश में यह भी निर्देश दिये कि केन्द्र से संबंधित महिला पर्यवेक्षिका तथा बाल विकास परियोजना विकास	

पदाधिकारी मधेपुरा से स्पष्टीकरण पूछते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवलोकनार्थ समर्पित किया जाय।

दिनांक 17.07.14 को उक्त प्रश्नगत अपील वाद की सुनवाई की गई, सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा। विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया कि सेविका को चयनमुक्ति का पत्र ज्ञापांक 1355–2 प्रो0 दिनांक 13.12.13 द्वारा निर्गत किया गया है जबकि उक्त चयनमुक्ति पत्र में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का हस्ताक्षर 23.12.13 के तिथि से हस्ताक्षर निर्गत है जो एक हास्यास्पद दिखता है क्योंकि जब जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर उक्त पत्र पर तिथि 23.12.13 को किये हैं तो पत्र निर्गत उक्त तिथि या उसके बाद की तिथि में होना चाहिए था जबकि निर्गत पत्र 13.12.13 का है जो पूरी तरह संदेहास्पद व गलत प्रतीत होता है।

सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी न्यायालय को बताया कि एक तरफ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा ने अपने ज्ञापांक 1293–2 दिनांक 16.12.13 को प्रश्नगत केन्द्र की सेविका श्रीमति शोभा देवी/सहायिका शांति देवी को आँगनबाड़ी केन्द्र संचालन में जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा निरीक्षण के क्रम में अनियमिकता बरते जाने के खिलाफ स्पष्टीकरण मांग की गई, जिसमें सेविका को 20.12.13 को स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण/पक्ष समर्पित करने का निर्देश दिया गया, निर्देश के आलोक में दिनांक 20.12.13 को सेविका शोभा देवी एवं सहायिका शांति देवी ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया अपने स्पष्टीकरण में सेविका द्वारा बताया गया कि मैं प्रतिदिन केन्द्र का संचालन नियमित रूप से करती हूँ। केन्द्र पर पोषाहार रखने का जगह नहीं होने के कारण पोषाहार सामग्री घर पर रखती हूँ तथा बनाने के समय घर से बनाकर उसे लाती हूँ। अधिवक्ता ने यह भी बतलाया कि सरकार की मार्गदर्शिका में यह स्पष्ट अंकित है कि अनियमितता बरतने के आरोप में सेविका/सहायिका को अपना स्पष्टीकरण रखने का मौका दिया जाना चाहिए था यहाँ उसका भी अभाव देखा गया है।

द्वितीय अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी ध्यान आकृष्ट कराया कि एक तरफ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सेविका से दिनांक 20.12.13 को स्वंय उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु आदेश निर्गत करते हैं, जबकि चयनमुक्ति आदेश बिना स्पष्टीकरण सुने ही दिनांक 13.12.13 को निर्गत कर देते हैं। ये भी बातें पूर्णतः हास्यास्पद व विरोधाभासी है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता की बातों को सुना गया एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का सुक्ष्म निरीक्षण भी किया गया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा का उक्त चयनमुक्ति आदेश जो दिनांक 23.12.13 के हस्ताक्षर तिथि में अंकित है एवं चयनमुक्ति आदेश दिनांक 13.12.13 तिथि से है काफी जल्दबाजी एवं बिना कोई सोचे समझे दिया गया आदेश है।

समीक्षोपरांत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा का आदेश ज्ञापांक 1355–2 प्रो0 दिनांक 13.12.13 Impugned order है, जो निरस्त (Quashed) किया जाता है, तथा सेविका शोभा देवी को अपने कार्य में एक मौका सुधार का देते हुए चेतावनी सहित कार्य पर सेविका पद पर पुनः रखने हेतु आदेश दिए जाते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

18/9/2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

18.9.2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल,सहरसा